252-दि०-18/5/12

सामान्य प्रशासन विभाग
नगर निगम, कानपुर

संख्या- 630 /नौ-9-12

प्रेषक,

आत्मा राम वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनॉक 15 मई, 2012

विषयः शासनादेश संख्या-1308/नौ-9-1999 दिनांक 13.05.99 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2465/314 दिनांक 27.03.12 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1308/नौ-9-1999 दिनांक 13.05.99 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोक्त।

AME-II

नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर

भवदीय,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव

rdgo-1

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या-1308 / नौ-9-1999
लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के अध्याय-9 में विभिन्न प्रकार के करों के अधिरोपण की व्यवस्था है। इसी अध्याय की धारा-221(3) में प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि प्रदेश सरकार किसी श्रेणी विशेष के व्यक्ति को नगर निगम के करों की देयता से मुक्त कर सकती है। देश की सुरक्षा में लगे सैन्य कर्मियों का नगर निगम के करों की देयता से मुक्ति प्रदान करने से संबंधित प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश समस्त नगर निगमों को प्रसारित किये जा रहे हैं:-

(क) देश की सुरक्षा में लगे सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिनमें वे स्वयं निवास कर रहे हों, गृहकर से मुक्त रहेगें।

(ख) उपरोक्त "क" के अनुसार गृहकर से मुक्ति प्रदान करने का अधिकार नगर निगम के संबंधित मुख्य नगर अधिकारी का होगा। मुख्य नगर अधिकारी गृहकर से मुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की आख्या प्राप्त कर तथा सन्तुष्ट होते हुये गृहकर से मुक्ति प्रदान करेगें।

(ग) उपरोक्तानुसार केवल गृहकर से मुक्ति प्रदान की जा रही है अर्थात् जलकर, सीवरकर या अन्य चार्जेज पूर्व की भाँति देय होगें।

2- उपरोक्तानुसार कार्यवाही समस्त नगर निगमों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-221(3) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये जा रहे है।

(राजीव कुमार)
विशेष सचिव।

..2 पर

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या-474/नौ-9-2001-24एम/89
लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2001

कार्यालय-ज्ञाप
शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 के कार्यालय-ज्ञाप
T-1308/नौ-9-1999 लखनऊ दिनांक 13 मई, 1999 के प्रस्तर "क"
निम्न सीमा तक संशोधित समझा जाय :-

(क) देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिनमें वे स्वयं निवास कर रही हों, गृहकर से मुक्त रहेंगे ।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

B.S. Shanker

(भगवान शंकर)
विशेष सचिव।

संख्या-474(1)/नौ-9-2001-तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त नगर प्रमुख, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 ।
7- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
B.S. Shanker

(भगवान शंकर)
विशेष सचिव।